सुरक्षित बचपन-विकसित समाज
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार

बिहार सरकार
समाज कल्याण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

सार्वजनिक सूचना

बिहार राज्य में सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, प्रसूति गृहों, गैर पंजीकृत अनाथालय आदि, चाहे वे सरकार, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक एजेंसियों, ट्रस्टों या निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे हों, का निम्नलिखित के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है:-

सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो कि एक बाल देखभाल संस्थान (CCI) संचालित कर रहा है, को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 34 (3) तथा संगत नियमावली के अधीन राज्य सरकार के साथ पंजीकृत कराना होगा। कोई व्यक्ति या संस्थान, सक्षम प्राधिकारी से कथित अधिनियम की धारा 41 (4) के अधीन एक मान्यता प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन) के बगैर अनाथ, छोड़े गये तथा अभ्यर्पित बच्चों के दत्तकग्रहण नियोजन को न तो कार्यान्वित करेगा, न ही कोई दत्तकग्रहण एजेंसी चलाएगा।

* माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय का लक्ष्मीकांत पाण्डेय बनाम भारत संघ तथा अन्य (Crl.Misc. Petition No.3142/1986) के मामले में निर्देश दिनांक 03.12.1986
* किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 32 एवं 34 (3)
* बालकों के दत्तकग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, 2015

उपरोक्तानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में, सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, प्रसूति गृहों आदि जो कि छोड़े हुए बच्चों के सम्पर्क में आते हैं या अपने पास–पड़ोस में या अन्यथा ऐसे छोड़े गये बच्चों को पाते हैं, को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उनकी पुनः प्रतिष्ठा तथा पुर्नसुधार के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों/एजेंसियों में से किसी को तुरन्त जानकारी देनी होगी:

✪ नजदीकी विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान (SAA) या ✪ स्थानीय बाल कल्याण समिति (CWC) या ✪ जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या ✪ स्थानीय पुलिस स्टेशन (100) या ✪ चाइल्ड लाइन (1098);

सम्पर्क:- विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान (SAA)

नालंदा- दूरभाष: 7808957740, भागलपुर- दूरभाष: 7808957708, दरभंगा- दूरभाष: 7808957716, सारण- दूरभाष: 7808957759, मुजफ्फरपुर- दूरभाष: 7808957737, सहरसा- दूरभाष: 7808957818, पटना- दूरभाष: 7808957748, गया- दूरभाष-7808957724, मुंगेर- दूरभाष: 7808957823, पूर्णिया- दूरभाष- 7808957804

अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक जिले में कार्यरत जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) से सम्पर्क किया जा सकता है। आप बिहार राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण, पटना, बिहार के कार्यालय में दूरभाष नं0: 0612–2545033 पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे के बीच सम्पर्क कर सकते हैं।

जनहित में जारीकर्ता:

बिहार राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA)

(समाज कल्याण निदेशालय, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, अपना घर, ललित भवन के पीछे, पुनाईचक, बेली रोड, पटना- 800 023 (बिहार) फोन नं0/फैक्स नं०-0612-2545033,
ई-मेल: biharsara@gmail.com, वेबसाइट : www.cara.nic.in / www.socialwelfare.icdsbih.gov.in

बिहार राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA)

सुरक्षित बचपन-विकसित समाज

राज्य में दत्तकग्रहण कार्यक्रम के समन्वयन, निगरानी और विकास के लिए राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्यरत अभिकरण

द्वितीय तल, अपना घर, ललित भवन के पीछे, पुनाईचक, बेली रोड, पटना- 800 023 (बिहार)
ई-मेल: biharsara@gmail.com, फोन नं0- 0612-2545033

बिहार सरकार
समाज कल्याण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

दत्तकग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग हो चुका बच्चा, सभी अधिकारों, विशेष लाभों और दायित्वों के साथ, दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के रूप में संदर्भित नए माता-पिता के पास जाकर उनकी वैधिक संतान बन जाता है।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित के अंर्तगत किसी भी समुदाय के दंपत्ति बच्चा गोद ले सकते हैं।

कानूनी रूप से दत्तकग्रहण हेतु क्रमिक प्रक्रिया निम्नलिखित है, जिसके लिए केवल विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (SAA) ही प्राधिकृत है:-

- सर्वप्रथम CARINGS (www.cara.nic.in) पर ऑन लाईन निबंधन कर संबंधित कागजात अपलोड करना।
- नजदीकी SAA द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट (Home Study Report) अपलोड किया जायेगा।
- CARINGS के माध्यम से अधिकतम 6 बच्चों का विवरण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से एक बच्चा का चुनाव 48 घंटे के भीतर करना।
- चुने गये बच्चे को 10 दिनों के भीतर दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में लिया जाना;
- दत्तकग्रहण आदेश के लिए न्यायालय में SAA द्वारा आवेदन करना।
- न्यायालय के आदेशोपरांत जन्म-प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं दो वर्ष की अवधि तक बच्चे का अनुवर्तन (Follow-up) करना।

दत्तकग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड :(दत्तकग्रहण दिशा-निर्देश, 2015 के प्रावधानों के अनुसार)

1. स्थिर वैवाहिक संबंध के कम से कम 2 वर्ष पूरे हों।
2. 4 वर्ष तक आयु समूह के बच्चे के दत्तकग्रहण के लिए दंपत्ति (पीएपी) की सम्मिश्रित आयु अधिकतम 90 वर्ष एवं एकल भावी दत्तक माता या पिता की अधिकतम आयु 45 वर्ष ।
3. 4 वर्ष से 8 वर्ष तक आयु के बच्चों के दत्तकग्रहण हेतु दंपत्ति (पीएपी) की सम्मिश्रित आयु अधिकतम 100 वर्ष एवं एकल भावी दत्तक माता या पिता की अधिकतम आयु 50 वर्ष ।
4. 8 वर्ष से 18 वर्ष तक आयु के बच्चों के दत्तकग्रहण हेतु दंपत्ति (पीएपी) की सम्मिश्रित आयु अधिकतम 110 वर्ष एवं एकल भावी दत्तक माता या पिता की अधिकतम आयु 55 वर्ष ।
5. बालक और भावी दत्तक माता या पिता में से प्रत्येक की आयु में न्यूनतम अंतर 25 वर्ष से कम नहीं।
6. दंपत्ति (पीएपी) की आर्थिक स्थिति बेहतर हो।
7. दंपत्ति (पीएपी) की मानसिक-शारीरिक स्थिति ठीक तथा कोई संक्रामक या गंभीर रोग न हो।
8. अविवाहित या अकेले पुरूष को बालिका के दत्तकग्रहण की अनुमति नहीं।
9. लिव इन रिलेशनशिप की पात्रता नहीं।

दत्तकग्रहण की प्रक्रिया, विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान (Specialised Adoption Agency) के द्वारा ही पूरी की जाती है। बच्चों को गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान (SAA) से संपर्क कर सकते हैं, जिनकी वर्तमान विवरणी निम्नलिखित है-

1- नालंदा मदर टेरेसा अनाथ सेवा आश्रम, टिकुली नगर, नालंदा-803111, बिहार
दूरभाष: 7808957740, +91-611-2281300, ई-मेल: nalanda.ashram@yahoo.com

2- रामानंदी देवी हिन्दू अनाथालय, नाथनगर, भागलपुर, बिहार
दूरभाष: 7808957808, ई-मेल: ramanandidevianathalaya1925@gmail.com

3- स्व0 कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान, साह मसूर कॉलोनी, अललपट्टी, रसूलपुर, लहेरियासराय, दरभंगा, बिहार
दूरभाष: 7808957716. ई-मेल: darbhangasaa.skssss@gmail.com

4- नारायणी सेवा संस्थान, एच. पी.-85, सधा हाउसिंग कॉलोनी, पो0 सधा, छपरा, सारण, बिहार
दूरभाष: 7808957759, ई-मेल: saransaa.nss@gmail.com

5- डॉ0 बी0 आर0 अम्बेदरकर हरिजन कल्याण परिषद्, हाउस ऑफ- कृष्ण कुमार ओझा, खबड़ा, नियर शिव मंदिर, थाना-सदर मुजफ्फरपुर, बिहार, दूरभाष: 7808957737, ई-मेल: muzaffarpursaa.brahkp@gmail.com

6- हनुमान प्रसाद ग्रामीण विकास सेवा समिति, द्वारा- श्री अनिल कुमार, राधानगर, कोशी चौक के नजदीक, सहरसा, बिहार
दूरभाष: 7808957818 ई-मेल: saharsasaa.hpgvss@gmail.com

7- प्रयास भारती ट्रस्ट, फ्लैट नं0 सी-209, हेम प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना-800001, बिहार
दूरभाष: 7808957748, 0612-2210685, ई मेल: patnasaa.pbt@gmail.com

8- इकोभिक, द्वारा-श्री अवधेश प्रसाद, मगधा कॉलोनी, पोस्ट-चाँद-चौरा, मेडिकल के नजदीक, गया
दूरभाष-7808957724, ईमेल-gayasaa.ecovic@gmail.com

9-सर्वांगीण विकास समिति, द्वारा-मो० जायेद, शुजाउलपुर, केनरा बैंक के नजदीक, जिला-मुंगेर, दूरभाष-7808957823, ईमेल: mungersaa.svs@gmail.com

10-सर्वांगीण विकास समिति, द्वारा-इंदु सिंह, राम नगर, पोलिटेकनिक चौक, थाना-मरंगा, जिला-पूर्णिया
दूरभाष-7808957804, ईमेल: purniasaa.svs@gmail.com

विशेष जानकारी www.socialwelfare.icdsbih.gov.in एवं www.cara.nic.in पर उपलब्ध है।

बच्चा हमेशा विधिवत रूप से उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के तहत ही गोद लें ताकि बच्चे को उनका पूर्ण अधिकार दिलाना सुनिश्चित किया जा सके।

विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान के अतिरिक्त नर्सिंग होम/अस्पतालों/अन्य संस्थाओं/माध्यमों से बच्चा गोद न लें, यह विधि-विरूद्ध एवं दण्डनीय अपराध है। यदि राज्य में कहीं भी किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अवैध रूप से दत्तकग्रहण कार्य किया जा रहा हो या होते हुए देखा जाय तो उपरोक्त पते पर बिहार राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण (Bihar State Adoption Resource Agency) एवं प्रत्येक जिले में स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को अविलंब सूचित करें।

एक बच्चा गोद लें!
अपनी दुनिया संवारें!!